

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा./खेलकूद-2/एसपीसी/19-20/स्मरण-1


दिनांक 06/10/2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक

विषय :- सत्र 2019-20 में एस.पी.सी. योजना संचालन हेतु बजट संबंधी सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने बाबत।
 प्रसंग :- कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर के पत्रांक व-15(1)/कम्युनिटी पुलिसिंग/2019/71-72 दिनांक 03/02/2020 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार आपके कार्यालय के अधीन राजकीय विद्यालयों में एस.पी.सी. योजना संचालित की जा रही है, जिसके संचालन हेतु सत्र 2019-20 में प्रति विद्यालय को 10000/- (अखरे रूपये दस हजार मात्र) का बजट आवंटन वजट मद 2055-पुलिस, 00-, 115-पुलिस वल आधुनिकीकरण, (09)-स्टुडेंट पुलिस कैडेट (01)-पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत विद्यार्थियों को प्रशिक्षण, 29-प्रशिक्षण भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय (केन्द्रीय सहायता + राज्य निधि) में किया गया था।

राजकोष माड्यूल के माध्यम से सूचना प्राप्त करने पर पाया गया है कि योजना संचालित विद्यालयों द्वारा नियमानुसार आवंटित बजट का आज दिनांक तक पूर्ण उपयोग नहीं किया गया और न ही आवंटित बजट की राशि में से नियमानुसार किये गये व्यय का संपूर्ण व्यय व्यौरा, पत्र जारी होने की दिनांक तक प्रस्तुत किया गया है। राज्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव शिक्षा तथा उपाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक हैं और निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर सदस्य हैं, जिनके द्वारा उक्त योजना की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही आवंटित बजट की राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संयुक्त शासन सचिव गृह(पुलिस)द्वारा कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के माध्यम से निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा यथाशीघ्र चाहा गया है अतः आपको आदेशित किया जाता है कि आपके कार्यालय व क्षेत्राधिकार के अंतर्गत योजना संचालित विद्यालय को आवंटित किये गये बजट का पूर्ण उपयोग होने अथवा उपयोग नहीं होने की तथ्यात्मक रिपोर्ट आपकी औचित्य पूर्ण टिप्पणी के साथ पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें। अन्यथा आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।



 उप निदेशक (खेलकूद)
 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
 बीकानेर।

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. समस्त संयुक्त निदेशक, माध्यमिक स्कूल शिक्षा।

02. रक्षित पत्रावली।

03. सिस्टम एनालिस्ट, बिनाग्रीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।


 उप निदेशक (खेलकूद)
 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
 बीकानेर।